न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रभा गौतम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
007/2018(रा.प्रा.प.) **(GCMS 2018/00024)**	**07.03.2018**	**15.01.2026**

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी, तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. अम्बा पिता देवराज जाति भील निवासी भूरक्याकला तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) मृतक के बजाय :–
   - 1/1 श्रीमती प्रतापीबाई पत्नी हीरालाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी भोपतपुरा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. रामलाल गोदपुत्र अम्बालाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी भूरक्याकला तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)। (**विलोपित**)

अप्रार्थी

उपस्थिति :–		
	भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)	प्रार्थी
	जगदीश जोशी (अनुपस्थित)	अप्रार्थी संख्या 1
	छोगालाल जाट (अनुपस्थित)	अप्रार्थी संख्या 2

निगरानी अन्तर्गत नियम 14 (04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी भू–आवंटन कमेटी निम्बाहेडा बमिसल संख्या 001/1970 दिनांक 08.01.1971

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी तहसीलदार बडीसादडी ने एक प्रार्थना–पत्र राज्य सरकार की और से अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि–प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(04) के अन्तर्गत खिलाफ विपक्षी संख्या 01 के इस आशय का प्रस्तुत किया कि विपक्षी को मौजा सोमपुर बी तहसील बडीसादडी की आराजी संख्या 311 रकबा 0.868 हैक्टेयर के संबंध में भू–आवंटन विधि, नियम एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। विपक्षी का उक्त आवंटित आराजीयात पर आज दिनांक तक कब्जा काश्त नहीं रहा है। विपक्षी का कब्जा नहीं होते हुए भूमि आवंटन करने में भूल की थी, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है, अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में दिनांक 07.09.2022 को विपक्षी संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 01 का गोदपुत्र होना बता कर अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है एवं हाजिर किया की विपक्षी संख्या 01 फौत हो चुके है। इस पर तहसीलदार बडीसादडी को विपक्षी संख्या 01 के कायम–मुकाम हेतु पत्र लिखा गया। इस पर तहसीलदार बडीसादडी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2023/269 दिनांक 24.03.2023 से अवगत कराया गया है कि मृतक अप्रार्थी अम्बा पिता देवराज जाति भील निवासी भूरक्याकला तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के एक पुत्री श्रीमती प्रतापीबाई पत्नी हीरालाल भील निवासी भोपतपुरा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ है। मृतक अप्रार्थी संख्या 01 के विधिक वारिसान की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19.07.2024 को अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा की मूल अभिलेख पत्रावली के संबंध में प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार के पत्रांक/अभिलेखागार/2021/ 83 दिनांक 09.11.2021 से अवगत कराया गया है कि उक्त पत्रावली जाया हेतु निकाली गई है। दिनांक 14.11.2025 को विपक्षी अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। न्यायालय द्वारा न्याय हित में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 15.01.2026 को अधिवक्ता विपक्षीगण अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में किसी भी प्रकार से कोई प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही में भाग लिये जाने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया केवल मात्र अधिकार पत्र दिनांक 07.09.2022 को पेश किया गया तत्पश्चात् किसी भी प्रकार से कोई आवेदन/प्रार्थना–पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया इस बाबत् न्यायालय आदेश दिनांक 03.05.2024 से संबंधित अधिवक्ता को प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सूचित किया गया। इसके बावजूद संबंधित अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 की और से कोई आवेदन/प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे न्यायालय द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 02 का नाम विलोपित किये जाने का आदेश दिया गया। मृतक अप्रार्थी संख्या 01 के विधिक वारिसान के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से उनकी अनुपस्थित रिकार्ड की गई। प्रकरण में बहस पत्रावली सुनी गई।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी पटवाल मण्डल सांगरिया द्वारा दिनांक 02.02.2018 को रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट पटवारी अनुसार मौजा सोमपुर बी के खाता संख्या 121 आराजी संख्या 311 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि अम्बा पिता देवराम भील निवासी भूरक्याकला के नाम गैर–खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि जिसके पुराने आराजी नंबर 223/1 है। उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के आदेश क्रमांक/01/1970 दिनांक 08.01.1971 द्वारा बिलानाम आराजी से आराजी नम्बर 223 रबा 17 बीघा 07 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ निःशुल्क गैर–खातेदारी तौर पर आवंटन की गई। जिसका नामान्तरकरण संया 68 दिनांक 17.04.1971 से अम्ब पिता देवराम भील निवासी भूरक्याकला के नाम दर्ज की गई। उक्त भूमि पर आवंटन के पश्चात् से अब तक किसी का भी कब्जा नहीं है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

व न मौके पर उक्त भूमि काश्त हो रही है। भूमि पडत पडी हुई। उक्त भूमि गैर काबिल काश्त होने से आवंटी का आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

विपक्षी सद्भावी कृषक नहीं है, अतः आवंटन निरस्त योग्य है। इस प्रकार विधि के प्रतिकुल भूमि आवंटित की है। बिना जांच–पडताल के उक्त बिलानाम आराजीयात का विपक्षी को आवंटन आदेश पारित कर दिया है जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थना की गई कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी का आवंटन निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें। इसी ईश्तदुआ से साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस का मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 एवं राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 में कृषि योग्य भूमि के आवंटन की व्यवस्था की गई है कि :–

101. Allotment of land for agricultural purposes – (1)Save as otherwise provided elsewhere by this Act, lands for agricultural purposes shall be allotted by such authority and in such manner as may be prescribed by rules made by the State Government in this behalf.
(2) All allotment of land under this section shall be subject to the payment of rent fixed at such rates as may be fixed according to custom or by usage or any law on the subject.
(3) XXX delted XXX]
(4) If there be more than one person requiring the same land, the allotment shall be made in the following order –

(i) to co-sharer of the holding if it forms part of a compact block or is irrigated fromthe same source, perference amongst such co-sharers being given to one having land less than the area prescribed by rules made under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955);
(ii) to persons residing in the village in which land be situated, preference amongst such persons being given to persons having no land or less than the area prescribed by the said rules;
(iii) by drawing lots:]

Provided that the area so taken together with the area held by him does not exceed the area prescribed by the said rules.
14. Condition of Allotment. –
(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office [or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules] either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:
Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.

अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा की मूल आवंटन पत्रावली जाया हो चुकी है, एवं प्रकरण में आवंटी आदिनांक गैर–खातेदार दर्ज रेकार्ड है तथा आवंटन के पश्चात् से अब तक उक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध पर्चा मौका दिनांक 24.01.2018 से होती है जो मौतबिरान की उपस्थिति में बनाया गया है।

प्रकरण में मृतक अप्रार्थी संख्या 1 के विधिक वारिसान द्वारा न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार से कोई लिखित अभिवचन/खण्डन पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह प्रमाणित हो सके कि भूमि आवंटन किये जाने हेतु राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियमों की समुचित पालना की गई हैं एवं नाही इस संबंध में कोई युक्ति–युक्त दस्तावेजात उपलब्ध कराया है। जिससे हस्तगत आवंटन विधि अनुसार प्रावधित पूर्ण प्रक्रिया एवं नियमानुसार नहीं किया जाना प्रतिवेदित होता है।

हस्तगत प्रकरण में विपक्षी आवंटन के पश्चात् आदिनांक तक कब्जा नहीं होना प्रमाणित पाया गया है जिससे आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 001/1970 दिनांक 08.01.1971 में त्रुटि कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, एवं अप्रार्थी का आवंटन एवं उक्त आवंटन आदेश की पालना में मौजा सोमपुर बी तहसील बडीसादडी का नामान्तरकरण संख्या 68 दिनांक 17.04.1971 को निरस्त जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार बडीसादडी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(04) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 को स्वीकार किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 001/1970 दिनांक 08.01.1971 का आवंटन एवं उक्त आवंटन आदेश की पालना में मौजा सोमपुर बी तहसील निम्बाहेडा का नामान्तरकरण संख्या 68 दिनांक 08.01.1971 निरस्त किया जाता है, एवं तहसीलदार बडीसादडी को निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 001/1970 दिनांक 08.01.1971 से आवंटित भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रेकार्ड में अंकन करे। तहसीलदार बडीसादडी को निर्णय की प्रमाणित प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **15.01.2026** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रभा गौतम)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official